(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3710–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–7–2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला इंदौर, अपील प्रकरण कमांक 17/अपील/2012–13.

गिरनॉर रियलिटी प्रा0लि0,
द्वारा 1–योगेश पिता श्री बाबूलाल मिश्रा,
2–माधवदास पिता श्री फेरूमल कारला
निवासी इंदौर म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन
तर्फे पटवारी हल्का नं.21,
डॉ0अम्बेडकर नगर, महू,
जिला इंदौर म0प्र0 .....अनावेदक

श्री एम0एस0तोमर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 17/अपील/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान दिनांक 26–03–2014 के आवेदक को सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । अतः आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश

9 नियम 9 सहपठित धारा 32 के तहत दिनांक 7–6–2014 को लगभग 48 दिन के विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–7–14 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से केवल 15 दिवस विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका समुचित कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा मूल आवेदन पत्र पुर्नस्थापित नहीं कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा समयावधि की गणना करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि यदि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अवधि कम कर दी जाये तो केवल 15 दिवस का विलम्ब हुआ है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा 48 दिन के विलम्ब से ही निगरानी प्रस्तुत की गई है और यदि यह मान भी लिया जाये कि 15 दिवस क विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है तो उसके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का समुचित कारण नहीं बतलाया गया है, इसलिये अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक नियत पेशी दिनांक 22–2–14 की पेशी पर उपस्थित हुये हैं, तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 6–3–14 एवं 26–3–14 को आवेदक अचानक अनुपस्थित हो गया । अतः अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में दिनांक 26–3–14 को खारिज किया गया, तत्पश्चात् आवेदक द्वारा तीन माह विलम्ब से प्रकरण पुर्नस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में दिन प्रतिदिन

के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर